

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उत्तरकाशी।

आदेश संख्या - 42/2025

दिनांक: 30/01/2025

माननीय जनपद न्यायाधीश, उत्तरकाशी से विमर्श के पश्चात् जिला न्यायालय, उत्तरकाशी के मुख्यालय में सार्वजनिक अवकाश के दिन, अभियुक्त की रिमाण्ड, जमानत हेतु निम्नवत् रिमाण्ड मजिस्ट्रेट नामित किये जाते हैं :-

क्र०सं०	अवधि	रिमाण्ड मजिस्ट्रेट
1	01.02.2025 से 28.02.2025	सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
2	01.03.2025 से 31.03.2025	न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
3	01.04.2025 से 30.04.2025	सिविल जज(सी०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
4	01.05.2025 से 31.05.2025	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

उपरोक्त अवधि में किसी भी नामित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण, अवकाश व अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में उनका कार्य लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जायेगा तथा साथ ही साथ वी०आई०पी० ड्यूटी/प्रोटोकॉल सम्बन्धी कार्य भी नामित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(अभय सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
उत्तरकाशी।  
30-01-25

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उत्तरकाशी।

पत्रांक ~~मेमो~~ / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
3. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
4. सम्बन्धित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट।
5. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. अधीक्षक, जिला कारागार, नई टिहरी।
7. अधीक्षक, बाल सम्प्रेक्षण गृह, डुण्डा, जिला उत्तरकाशी।
8. बार संघ, उत्तरकाशी।
9. सिस्टम सहायक, उत्तरकाशी।
10. गार्ड फाईल।

(अभय सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
उत्तरकाशी।  
30-01-25